कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सीकर

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III सीधी भर्ती, 2024 में गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु अंतिम रूप से चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से सीकर जिले को आवंटित अभ्यर्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज., बीकानेर के पत्रांक : शिविरा–मा./संस्था/एफ–1/12102(203)/सी.भ./पु.अ. ग्रेड–III/2024–25/26038 (RajKaj Ref No.: 24683594) दिनांक : 25.09.2026 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक : 30.07.2026 द्वारा प्रदत निर्देशानुसार Online Counselling के आधार पर राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के प्रावधानानुसार संलग्न सूची अनुसार अभ्यर्थियों को इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान), नियम, 2017 के अनुसार वेतन लेवल–10 में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व निम्नांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे :

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. इन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./एमबीसी/विकलांग आदि) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपनी संतुष्टि कर लें कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है। कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व इन प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतियां आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावें।
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व यह सुनश्चित किया जावे कि ओबीसी एव एमबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जारी किया गया हो।
4. दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को दिव्यांग प्रमाण पत्र की मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट इस कार्यालय से प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करवायें।
5. जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
6. अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के मूल आवेदन, दस्तावेजों एवं कम्प्यूटराईज्ड (Attestation form) में कमी/त्रुटि आदि पाये जाने पर तत्काल कार्यालय को अवगत करवाएं।
7. किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Harbansh Lal
Designation : District Education Officer
Date: 2026.09.30 14:15:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24796705

M e-Sign

8. सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ 7(1)डीओपी/ए–ा/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावें।
9. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प. 7(3)कार्मिक/ क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावें।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.7(13) कार्मिक/ क–2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावें।
12. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व–घोषणा पत्र प्राप्त किया जावें।
13. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाया जावें।
14. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि, यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जावें।
15. चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर राज्य सरकार के आदेशानुसार मासिक नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
16. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
17. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेंगी।
18. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Harbansh Lal
Designation: District Education Officer
Date: 2026.09.30 14:15:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24796705

M e-Sign

19. परिविक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक –एफ–12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
20. अभ्यर्थी को पदस्थापित स्थान पर दिनांक : 21.10.2026 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। इस अवधि में आगामी पंचायतीराज चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने की स्थिति में कार्यग्रहण जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के उपरांत किया जायेगा। निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष इन्हे शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : नियुक्ति आदेश पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III Batch ID :- 527 (संलग्न सूची :-2 अभ्यर्थी)

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सीकर

क्रमांकः– जिशिअ/मु0–माध्य/सी/संस्था–1/नियुक्ति/पु.अ.ग्रेड–III/भर्ती– 2024/170 दिनांकः– यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज., बीकानेर।
2. श्रीमान सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. श्रीमान संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
4. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),प्रा0शि0, सीकर।
6. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सीकर।
7. अति.जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर।
8. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त जिला–सीकर।
9. संबंधित संस्था प्रधान।
10. संबंधित अभ्यर्थी।
11. रेकार्ड पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सीकर

Signature valid
Digitally signed by Harbansh Lal
Designation : District Education Officer
Date: 2026.09.30 14:15:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24796705
M e-Sign

कार्यालय आदेश

Batch ID :- 527 (संलग्न सूची:-2 अभ्यर्थी) **Batch Date :- 30/09/2026 1:56:24 PM**

Sr.No	ROLL NO	NAME	FATHER NAME	ADDRESS	BIRTH DATE	CTG	CTG TYPE	SPL CAT	MERIT NO.	SELECT POSTING PLACE	DISTRICT	Gender	Photo	Sign
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	837001	KARINA MEENA	JAGDISH NARAYAN MEENA	DHANI- BAD KI KHORI VPO-TODA MEENA TEHSIL-JAMWARAMGARH Rajasthan JAIPUR Toda Meena 302028	10/01/2004	ST	STF		1943	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HARJANPURA (219238)	SIKAR	FEMALE		
2	839839	ARUN SINGH	SHIVNATH SINGH	SHRI SADAN ADARSH COLONY NEAR GYATRI GIRLS HOSTEL NAWALGARH ROAD SIKAR Rajasthan SIKAR SIKAR 332001	18/08/1991	OBC	GENM		107	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHUDOLI (219239)	SIKAR	MALE		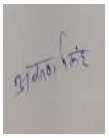

Shala Darpan

Signature valid
Digitally signed by Harbansh Lal
Designation : District Education Officer
Date: 2026.09.30 14:15:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24796705
M e-Sign